

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

E-mail:-dpojgr@rediffmail.com

क्र./1664/मबावि/स्था./2025-26

जांजगीर, दिनांक 09/07/2025

// विज्ञापन //

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 01 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 11.08.2025 है, विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अपिव.	योग		
01	जेन्डर विशेषज्ञ	0	0	01	0	01	8	25780/-

चयन हेतु आवश्यक शर्त:-

01 आयु सीमा-

- 1 अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 3 छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इस पद हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
- 4 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे।
- 5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

- 7 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 8 केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम/नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।
- 9 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 10 पद क्रमांक 1 के लिए न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।
- 11 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी।
- 12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।
- 17 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- 19 आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) पिन 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट /कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—

वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं छ.ग. के मूल निवासी में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता सूची अनुसार 01 पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरियता दी जावेगी।

- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :- भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:-

4.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

नियुक्ति की अवधि:-

- 1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 3 इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत कार्य कमी की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्तकर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 5 चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)


जिला कार्यक्रम अधिकारी
अहिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभि
प्रमाणित पासपोर्ट
साईज फोटो पर
हस्ताक्षर जिसका
आधा भाग फोटो एवं
आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चरखा
करे।

1. आवेदित पद का नाम :-.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में):-.....
(अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. स्थायी पता :-.....
5. (वर्तमान पता) :-.....
दूरभाष/मो.नं.
6. जन्मतिथि (अंको में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
7. दिनांक 01/01/2023 को :-वर्ष माह दिन
(पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
आयु
8. लिंग पुरुष/महिला :-.....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति.....वर्ग.....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? :- हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-.....
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :-.....
13. शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था/वि.वि. का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी



अन्य योग्यता :-

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण	कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक

17. रोजगार कार्यालय का नाम व जिला

18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

19. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

20. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:-

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र

2. 12 वीं अंकसूची

3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र

4. मूल निवास प्रमाण पत्र।

1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

2. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।

3. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रु डाक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....2.....3.....

4.....5.....6.....

7.....8.....9.....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं घोषण करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही हैं एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता

मोबाइल नम्बर-

ईमेल आईडी-